संख्या-2023/001-781422023

प्रेषक,

नवनीत सहगल,
अपर मुख्य स चव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

खेल अनुभाग लखनऊ : दिनांक 28 मार्च, 2023

वषय:- जनपद अलीगढ़ के स्टे डयम में छात्रावास भवन के निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त वषयक आपके पत्र संख्या- जी-1416/2022-23, दिनांक 27.02.2023 के क्रम में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है क जनपद अलीगढ़ के स्टे डयम में छात्रावास भवन के निर्माण हेतु पी0एफ0ए0डी0 द्वारा आंक लत लागत 579.63 लाख की प्रशासकीय एवं वत्तीय स्वीकृति तथा चालू वत्तीय वर्ष- 2022-23 के बजट में अनुदान संख्या-22 के लेखाशीर्षक 4202- शक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-03-खेलकूद तथा युवा सेवा-800-अन्य व्यय-08 मण्डलीय मुख्यालयों में आवासीय क्रीड़ा छात्रावास निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य "में व्यवस्थित धनरा श रू0 500.00 लाख में से धनरा श रू0 1,50,00,000 (रुपये एक करोड़ पचास लाख मात्र) की वत्तीय स्वीकृति निर्गत करने की श्री राज्यपाल निम्न ल खत शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) उक्त स्वीकृत की जा रही धनरा श रू0 1,50,00,000 (रुपये एक करोड़ पचास लाख मात्र) निदेशक, खेल द्वारा कोषागार से आहरित करके सम्बन्धित कार्यदायी संस्था- उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ ल0 (पैकफेड) को नियमानुसार उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) स्वीकृत धनरा श को आहरित कर बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/खाते में नहीं रखी जायेगी।

(3) प्रायोजनान्तर्गत समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करने का उत्तरदायित्व निदेशक, खेल / कार्यदायी संस्था का है।

(4) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त कार्यों की ड्राइंग को आवश्यकतानुरूप कार्यदायी संस्था द्वारा स्थानीय वकास प्रा धकरण / सक्षम लोकल आथॉरिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी कया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमा णकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्या पत की जा सकती है ।

(5) प्रश्नगत प्रायोजना का गठन उ0प्र0 लोक निर्माण वभाग द्वारा जारी वर्ष 2022 की जनपदीय अनुसूची दर एवं डी0एस0आर0 वर्ष 2021 के आधार पर कया गया है।

(6) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनरा श अनुमन्य कर दी गयी है। निदेशक, खेल/ कार्यदायी संस्था द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित कया जाय क प्रायोजनान्तर्गत व भन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मि लत न हो।

(7) प्रायोजना में वाह्य वद्युत संयोजन हेतु प्रस्ता वत लागत रू0 5.00 लाख अनुमन्य कया गया है। वाह्य वद्युत संयोजन हेतु वद्युत वभाग से प्राप्त वस्तृत आगणन के आधार पर एवं सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर सुसंगत वत्तीय नियमों के अन्तर्गत कार्य कया जाना सुनिश्चित कया जायेगा।

(8) प्रायोजना प्रस्ताव के अन्तर्गत 1687.81 घ0मी0 म ी भराई हेतु रू0 6.18 लाख की लागत प्रस्ता वत कया गया है। कार्यस्थल में म ी भराई से सम्बन्धित जिला धकारी द्वारा गठित तकनीकी स मति की म ी भराई सम्बन्धित रिपोर्ट एवं म ी भराई से सम्बन्धित कार्य स्थल की थ्री डाइमेन्शनल मेजरमेन्ट सहित ड्रोन इमेज रिपोर्ट उपलब्ध नहीं होने के कारण एकमुश्त धनरा श रू0 2.50 लाख अनुमन्य कया गया है ।

(9) प्रायोजनान्तर्गत सोलर पावर जनरेटिंग सस्टम 25.00 के0वी0ए0 कार्य प्रस्ता वत कया गया है। इन्हें इन्डीकेटिव दरें मानते हुए लागत का परीक्षण कया गया है। क्रयान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यों हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त करें। निदेशक, खेल/कार्यदायी संस्थां निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वत्तीय नियमों के आधार पर कया जाना सुनिश्चित करायेंगे।

(10) प्रायोजना के अन्तर्गत फर्नीचर (रू0 29.22 लाख), वाटर कूलर / वाटर प्यूरीफायर एवं साईनेज (रू0 5.00 लाख) प्रस्ता वत कया गया है, जिसे आंक लत लागत में सम्मि लत नहीं कया गया है।

(11) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्ता वत कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुए परीक्षण कया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित कये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था / निदेशक, खेल का होगा।

(12) प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्ता वत व शष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत मानते हुए कया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, प्रस्ता वत कार्यों की मात्राओं में वृ द्ध एवं अन्य उच्च व शष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त कये बिना नहीं कया जायेगा।

(13) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्ता वत कार्यों की द् वरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व निदेशक, खेल द्वारा सुनिश्चित कया जायेगा क यह कार्य पूर्व में कसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान एवं भ वष्य में कसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित कया जाना प्रस्ता वत है।

(14) प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(15) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वत्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में व र्णत व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ कया जायेगा।

(16) कार्य की व शष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी निदेशक, खेल/कार्यदायी संस्था की होगी तथा निदेशक, खेल/कार्यदायी संस्था यह सुनिश्चित करेंगे क कार्य निर्धारित समय-सीमा अव ध में ही पूर्ण हो जायें तथा भ वष्य में प्रायोजना का कोई पुनरीक्षण स्वीकार नही होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी कया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमा णकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्या पत की जा सकती है ।

(17) कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कया जायेगा।

(18) निदेशक, खेल/कार्यदायी संस्था द्वारा समय-समय पर कार्य की भौतिक एवं वत्तीय प्रगति की समीक्षा करते हुए गुणवत्तापरक कार्य पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित कया जायेगा।

(19) स्वीकृत धनरा श का व्यय वत्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्रा वधानों समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कया जायेगा।

(20) प्रश्नगत धनरा श जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में कया जायेगा।

(21) निदेशक, खेल द्वारा यह सुनिश्चित करेंगे क स्वीकृत कये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा कसी अन्य स्रोत से धनरा श स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य कसी अन्य कार्य योजना में सम्मि लत है।

(22) उक्त कार्य की वर्तमान तथा भ वष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द् वरावृत्ति न हो इसे निदेशक, खेल अपने स्तर से सुनिश्चित करना चाहेंगे।

(23) कार्यदायी संस्था नियमानुसार लेबर सेस के भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

(24) निदेशक, खेल/कार्यदायी संस्था द्वारा वत्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनॉक 07 जून, 2022 तथा यथासंशो धत कार्यालय-ज्ञाप दिनॉक 04 नवम्बर, 2022 का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित कया जायेगा।

(25) निदेशक, खेल/कार्यदायी संस्था द्वारा प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयाव ध में अवश्य पूर्ण करा लया जायेगा।

(26) निदेशक, खेल द्वारा अवमुक्त की गयी सम्पूर्ण धनरा श का उपयो गता प्रमाण-पत्र वर्तमान वत्तीय वर्ष की समाप्ति पर प्राप्त कया जाना सुनिश्चित कया जायेगा।

(27) जी0एस0टी0 आदि की गणना की शुद्धता का उत्तरदायित्व निदेशक, खेल/कार्यदायी संस्था का होगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,50,00,000 (रुपये एक करोड़ पचास लाख मात्र) को चालू वत्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 022 लेखा शीर्षक 4202038000800 मण्डलीय मुख्यालयों में आवासीय क्रीडा छात्रावास निर्माण मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-5-263-X-2022-23-दिनांक:27-3-2023 में प्राप्त वत्त वभाग की सहमति से निर्गत कये जा रहे है।

भवदीय,

(नवनीत सहगल)
अपर मुख्य स चव।

संख्या-2023/001-781422023, तद्दिनांक।

प्रति ल प निम्न ल खत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रे षत:-

1- महालेखाकार उ0प्र0 (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द् वतीय उ0प्र0 प्रयागराज।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द् वतीय उ0 प्र0 प्रयागराज।

3- मुख्य कोषा धकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी कया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमा णकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्या पत की जा सकती है ।

shasanadesh.up.gov.in

4- जिला धकारी, अलीगढ़।

5- क्षेत्रीय क्रीड़ा अ धकारी, क्षेत्रीय खेल कार्यालय, अलीगढ़।

6- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ ल0 लखनऊ।

7- वत्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

8- वत्त् (व्यय नियंत्रण) अनुभाग- 5

9- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर प्रति।

आज्ञा से,

(वनीत प्रकाश)

वशेष स चव।

http://shasanadesh.up.n

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी कया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमा णकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्या पत की जा सकती है ।